

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा
DEPARTMENTAL EXAMINATION OF INSPECTORS OF CENTRAL EXCISE

प्रश्न पत्र – द्वितीय (PAPER – 2)
सीमा शुल्क (सपुस्तक) – (CUSTOMS WITH BOOKS)

दिनांक : 10.12.2013 (DATE : 10.12.2013)

समय : 2.00 अ० से 5.00 अ० (TIME: 2.00 PM to 5.00 PM)

पूर्णांक : 100 (MAXIMUM MARKS : 100)

उत्तीर्णांक : 50 (PASS MARKS : 50)

टिप्पणी :

1. किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न सं० 7 अनिवार्य है।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. परीक्षार्थियों को हिंदी में उत्तर देने का विकल्प है।
4. उत्तर के साथ सम्बन्धित अथॉरिटी का उल्लेख करें।

Note :

1. Answer any five questions. Question No. 7 is compulsory.
2. All questions carry equal marks.
3. Candidates have options to answer in Hindi
4. Relevant authority must be quoted with all answers.

सम्बन्धित पुस्तकें:

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
2. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51)
3. सीमा शुल्क नियम एवं विधियां
4. विदेशी व्यापार नीति-2009-14
5. आयात-निर्यात विधियों की दिग्दर्शिका
6. सीमा शुल्क सम्बन्धित अन्य अधिनियम और एदत् द्वारा बनाये गये नियम।
7. विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और तत्सम्बन्धी नियमावली।

CONCERNED BOOKS:

1. The Customs Act, 1962 (52 of 1962)
2. The Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
3. Customs Rules and Procedures
4. Foreign Trade Policy-2009-14
5. Handbook of Export and Import Procedure
6. Customs, Allied Acts and Rules made there under
7. The Special Economic Zone Act, 2005 and Rules made there under.

प्रश्न सं० 1. सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ के अधीन निम्नलिखित में से किन्हीं आठ को परिभाषित करें :

1. अपील अधिकरण
2. प्रवेश पत्र
3. सीमा शुल्क क्षेत्र
4. प्रतिषेद्ध माल
5. तस्करी
6. भूमि सीमा शुल्क स्टेशन
7. भारतीय सीमा शुल्क सागर खण्ड
8. भार साधक व्यक्ति
9. आयात माल सूची या आयात प्रतिवेदन
10. माल

Q.No.1: Define any eight of the following under Customs Act, 1962.

- i. Appellate Tribunal;
- ii. bill of entry;
- iii. Customs area
- iv. prohibited goods
- v. smuggling
- vi. land customs station
- vii. Indian customs waters
- viii. person –in-charge
- ix. import manifest or import report
- x. goods

प्रश्न सं० 2. निम्नलिखित में से किन्हीं १५ के सम्बन्ध में सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ की सम्बद्ध धाराओं को उद्धृत करें:

1. देशी उपभोग के लिए माल की निकासी
2. शुल्क का निर्धारण
3. शुल्क के भुगतान के बिना किसी माल का पोतांतरण
4. आयात मालसूची या आयात प्रतिवेदन का परिदान
5. शुल्क की वापसी का दावा
6. शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज
7. भूषित (चोरी) माल पर शुल्क
8. माल के आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति
9. प्राइवेट भंडागार को अनुज्ञप्ति
10. साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तियों को समन करने की शक्ति
11. माल, दस्तावेज और चीजों का अभिग्रहण
12. आदेश, विनिश्चय इत्यादि का तामील
13. नमूने लेने की शक्ति
14. अभियोजन और शास्ति से उन्मुक्ति मंजूर करने के लिए समझौता (निपटारा) आयोग की शक्ति
15. आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील
16. अधिहरण (जब्ती) के बदले अर्थदण्ड का भुगतान करने का विकल्प
17. यात्री सामान का अस्थायी निरोध

Q.No.2: Quote the relevant sections of the Customs Act, 1962 in respect of any fifteen of the following the following:-

1. Clearance of goods for home consumption
2. Assessment of duty
3. Transshipment of certain goods for without payment of duty
4. Delivery of import manifests or import report
5. Claim for refund of duty
6. Interest on delayed payment of duty
7. Duty on pilfered goods
8. Power to prohibit importation or exportation of goods
9. Licensing of private warehouse
10. Power to summon persons to give evidence and produce documents
11. Seizure of goods, documents and things
12. Service of order, decision, etc.
13. Power to take samples
14. Power of Settlement Commission to grant immunity from prosecution and penalty.
15. Appeal to commissioner (Appeals)
16. Option to pay fine in lieu of confiscation
17. Temporary detention of baggage

प्रश्न सं० 3. समुचित सीमा शुल्क टैरिफ (८ अंको वाला) के अधीन निम्नलिखित वस्तुओं में से किन्हीं दस का वर्गीकरण करें :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. अगरबत्ती | 7. फिल्म के लिए कैमरा |
| 2. एलुमीनियम सर्किट्स | 8. हृदय सम्बन्धी नाल-शलाका (कार्डियक कैथेटर) |
| 3. आडियो कैसेट टेप | 9. पुरुषों के लिए अँगूठे तक बंद चर्म निर्मित जूते |
| 4. बैक नोट | 10. हरी मिर्च |
| 5. बासमती चावल | 11. वेव्यूम पम्प |
| 6. साइकिल वाल्व | 12. लहसुन |

Q. No.3: Classify any ten of the following goods under appropriate Customs Tariff Subheading (8 digits):-

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Agarbatti | 7. Cameras for film |
| 2. Aluminum Circles | 8. Cardiac Catheter |
| 3. Audi Cassette Tape | 9. Footwear all leather closed toe for men |
| 4. Bank notes | 10. Green Chilly |
| 5. Basmati Rice | 11. Vacuum Pumps |
| 6. Bicycle valves | 12. Garlic |

प्रश्न सं० 4. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :

1. माल के आयात या निर्यात के लिए प्रतिषेध जिसमें लागू किए गए प्रतिषेध का प्रयोजन सम्मिलित है।
2. शुल्क का अनन्तिम निर्धारण।
3. अनुद्गृहीत या कम उद्गृहीत या भूलवश वापस किए गए शुल्क की वसूली।
4. अभिरक्षा पर निर्बधन और आयातित माल का अपसारण (हटाना)।
5. सरकार को देय धन की वसूली।

Q.No.4: Write short notes any three of the following:-

1. Prohibition for Importation or Exportation of goods including purposes for which prohibition is applied.
2. Provisional Assessment for duty.
3. Recovery of duties not levied or short levied or erroneously refunded.
4. Restrictions on Custody and Removal of Imported Goods.
5. Recovery of sums due to Government.

प्रश्न सं० 5. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन का वर्णन करें :

1. सीमा शुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापति विनियमन, 2004।
2. प्रवेश पत्र (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा) विनियमन, 2011।
3. बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आयाति माल) प्रवर्तन नियम, 2007।
4. सीमा शुल्क क्षेत्र में स्थोरा (कार्गो) का हथालना (हैंडिल करना) विनियमन, 2009।
5. आयातक और निर्यातक के परिसर में स्थलीय निकासी पश्चु लेखा परीक्षा विनियमन, 2011।

Q.No.5: Describe any three of the following:-

- i. Customs House Agents Licensing Regulations, 2004.
- ii. Bill of Entry (Electronic Declaration) Regulation, 2011.
- iii. Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 2007.
- iv. Handling of Cargo in Customs Areas Regulations, 2009.
- v. On Site Post Clearance Audit at the premises of Importers and Exporters Regulations, 2011

प्रश्न सं० 6. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन का उत्तर दें :

1. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क के अन्तर्गत शुल्कों के प्रकारों का नाम बताएं। संरक्षणात्मक शुल्क को प्रभारित करने के प्रयोजन की व्याख्या करें। पाटन रोधी शुल्क और सुरक्षात्मक शुल्क में क्या अंतर है ?

2. सेज (एस०ई०जेड०) द्वारा डी०टी०ए० को माल निकासी हेतु क्या प्रक्रिया है ? विधिक उपबंधों की व्याख्या करें। क्या डी०टी०ए० विक्रय पर कोई निर्बंधन है ?
3. ई०ओ०यू० योजना क्या है और उस मंत्रालय का नाम बताएँ जो इसे नियंत्रित करता है ? इस योजना की प्रक्रिया कहाँ निर्धारित की जाती है ? उस सीमा शुल्क अधिसूचना का नाम बताएँ जो आयातित माल के प्रापण पर सीमा शुल्क की छूट प्रदान करती है। ई०ओ०यू० देशीय निवेश की वस्तुओं के प्रापण के लिए विहित (निर्धारित) प्रक्रिया की व्याख्या करें।
4. शुल्क ड्राबैक (शुल्क वापसी) क्या है ? शुल्क के ड्राबैक से सम्बन्धित नियमों का विवरण दें। ड्राबैक की दर के प्रकारों और शुल्क ड्राबैक दर के निर्धारण के लिए प्रक्रिया को परिभाषित करें।

Q.No.6: Answer any three of the following:-

- i. Name the type of duties of Customs as per Customs tariff Act, 1975. Explain the purpose of charging protective duties. What is the difference between Anti dumping duty and safe guard duty?
- ii. What is the procedure for clearance of goods by SEZ to DTA? Explain the legal provisions. Is there any restriction on DTA sale?
- iii. What is the EOU Scheme and Name the Ministry who controls this? Where are the procedures of this scheme are prescribed? Name the Customs notification exempting duties of customs on procurement of imported goods. Explain the procedure for procurement of indigenous inputs by the EOU.
- iv. What is duty drawback? Name rules dealing with drawback of duties. Define types of drawback rates and the procedure for fixation of duty drawback rate.

प्रश्न सं० 7. निम्नलिखित डाटा से माल के आयात पर सीमा शुल्क का परिकलन करें :

१. एफ०ओ०बी०मूल्य	:	रुपए 20,00,000/-
२. माल भाड़ा	:	अनुपलब्ध
३. अभिवहन बीमा	:	अनुपलब्ध
४. अवतरण प्रभार	:	सी०आई०एफ० का 1%
५. बी०सी०डी० की दर	:	10%
६. सी०टी०डी० की दर	:	12%
७. एस०ए०डी० की दर	:	मानक दर
८. शिक्षा उपकर	:	2%
९. एस०ए०एच० शिक्षा उपकर	:	1%

Q.No.7 : (i) Calculate duties of Customs on importation of goods from the following data:

1. FOB value	:	Rs 20, 00,000/-
2. Freight	:	Not available
3. Transit Insurance	:	Not available
4. Landing Charges	:	1% of CIF
5. Rate of BCD	:	10%
6. Rate of CVD	:	12%
7. Rate of SAD	:	Standard Rate
8. Education Cess	:	2%
9. SAH Education Cess	:	1%
